


मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय,
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2020

क्रमांक एफ 4-7/2015/18-1 :: राज्य शासन एतद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/सी 1-1/1/वेआप्र/99 दिनांक 19.4.1999 एवं 12.10.1999 के अनुक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 4-44/2000/18-1 दिनांक 25.4.2000 एवं फ 4-144/2000/18-1 दिनांक 26.3.2000 के परिपालन में विघटित नगर सुधार न्यास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निम्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर कालम-3 में दर्शाये तिथि से प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर कालम-4 में दर्शाई तिथि से द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क	मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम	प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान की देय तिथि एवं वेतनमान	द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान देय तिथि एवं वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मकबूल खान	25.04.2000 रूपये 10000-15200	07.07.2007 रूपये 12000-16500


मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(उमेश कुमर सिंह)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2020

पृ० क्रमांक एफ 4-7/2015/18-1
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल,
 2. संबंधित संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश
 3. श्री मकबूल खान, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, शहडोल मध्यप्रदेश
 4. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
 5. आर्डर बुक,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग